फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

नाम मुकदमा ... बनाम ... प्र0सं0 61/2017

धारा 251-128 वाद / प्रा0प0 / अपील 61/17

22/8/17 बाद जॉच वाद / प्रा0प0 / अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधिवत् प्रकियानुसार विपक्षीगणो / अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 6/9/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

6/9/17 पत्रावली पेश हुई, प्रकरण में निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री रेनु मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 59/2017

1. नारायण पिता जयराम गुर्जर, निवासी छाछेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा। **–प्रार्थी**

बनाम

1. रंगलाल पिता नानू गुर्जर, निवासी छाछेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. फेफी बेवा नानू गुर्जर, निवासी छाछेडी तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा ग्रामीण शाखा हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. प्रबन्धक आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लि0 शाखा हमीरगढ जिला भीलवाडा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा। **–अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 06.09.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू.–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 18.07.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम छाछेडी तहसील जमाबन्दी 2070–73 खाता नम्बर 100 में अंकित आराजी नम्बर 94 रकबा 0–04 बीघा, आराजी नम्बर 100 रकबा 0–07–10 बीघा, आराजी नम्बर 129 रकबा 0–05–00 बीघा, आराजी नम्बर 319 रकबा 0–08–10 बीघा, आराजी नम्बर 321 रकबा 0–06–00 बीघा, आराजी नम्बर 323 रकबा 0–09–10 बीघा, आराजी नम्बर 322 रकबा 1–08–10 बीघा, आराजी नम्बर 324 रकबा 1–15–00 बीघा, आराजी नम्बर 324/1 रकबा 4–10–00 बीघा, आराजी नम्बर 582 रकबा 3–12–10 बीघा, आराजी नम्बर 585 रकबा 4–10–00 बीघा, आराजी नम्बर 594 रकबा 0–08–00 बीघा, आराजी नम्बर 593 रकबा 0–03–00 बीघा, आराजी नम्बर 602 रकबा 0–14–00 बीघा, आराजी नम्बर 601/1 रकबा 0–01–10 बीघा, आराजी नम्बर 609 रकबा 1–10–10 बीघा, कुल किता 16 रकबा 20–13–10 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 29.08.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी संख्या 01 से 02 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम छाछेडी तहसील जमाबन्दी 2070–73 खाता नम्बर 100 में अंकित आराजी नम्बर 94 रकबा 0–04 बीघा, आराजी नम्बर 100 रकबा 0–07–10 बीघा, आराजी नम्बर 129 रकबा 0–05–00 बीघा, आराजी नम्बर 319 रकबा 0–08–10 बीघा, आराजी नम्बर 321 रकबा 0–06–00 बीघा, आराजी नम्बर 323 रकबा 0–09–10 बीघा, आराजी नम्बर 322 रकबा 1–08–10 बीघा, आराजी नम्बर 324 रकबा 1–15–00 बीघा, आराजी नम्बर 324/1 रकबा 4–10–00 बीघा, आराजी नम्बर 582 रकबा 3–12–10 बीघा, आराजी नम्बर 585 रकबा 4–10–00 बीघा, आराजी नम्बर 594 रकबा 0–08–00 बीघा, आराजी नम्बर 593 रकबा 0–03–00 बीघा, आराजी नम्बर 602 रकबा 0–14–00 बीघा, आराजी नम्बर 601/1 रकबा 0–01–10 बीघा, आराजी नम्बर 609 रकबा 1–10–10 बीघा, कुल किता 16 रकबा 20–13–10 बीघा की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 2100/–रू0 पक्षकार – प्रार्थी राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 800/– रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 06.09.2017 को खुला न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें ।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ